

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र / 2019 / 1124

दिनांक:- 19/12/2019

आदेश

राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में अनिस्तारित आवासीय भूखण्डों/आवासों/फ्लैटों के निस्तारण हेतु खण्ड कार्यालयों/ उप आवासन आयुक्तों की अनुशंसा के आधार पर चिन्हित महत्वपूर्ण सम्पतियों (Premium Properties) के निस्तारण के सम्बन्ध में खुली नीलामी द्वारा निस्तारण की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदत्त की जाती है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं	योजना का नाम	आय वर्ग	भूखण्ड/आवास संख्या	कुल संख्या
1-	एन.ई.बी. विस्तार योजना अलवर	ई.डब्ल्यू.एस.	6/191, 6/237ए	2
2-	एन.ई.बी. विस्तार योजना अलवर	एल.आई.जी	7/67, 7/88	2
			कुल महत्वपूर्ण सम्पतियां	4

उक्त आदेशों को आवासन आयुक्त महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(हस्ताक्षर)

(कश्मी कौर)

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वित्तीय सलाहकार/निदेशक विधि/मुख्य राजस्व अधिकारी, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, रा0 आ0 मा0, जयपुर/जोधपुर।
5. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-....., रा0आ0म0, (समस्त)
7. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-....., रा0आ0म0, (समस्त)
8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), रा.आ.म., जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाइट पर डलवाये व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त/आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0मं0, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(हस्ताक्षर)

मुख्य सम्पदा प्रबंधक